मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 04.2018

क्र. एफ 16-27/2018/ ए-ग्यारहः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि नाहर ग्रुप द्वारा ₹ 1663.00 करोड के पूंजी निवेश से जैतपुर धामनोद के पास जिला धार में मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाईल हब एवं पेपर प्रोडक्टस प्लांट की स्थापना संबंधी प्रस्तावः इन्टेन्शन-टू-इन्वेस्ट क्रमांक CIE-14173 मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमि. द्वारा जैतपुर धामनोद जिला धार में 240.00 करोड़ के पूंजी निवेश से स्पिनिंग यूनिट की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार विशेष सुविधाऐं दी जावे:-

1. भूमि आवंटन - कम्पनी की ग्राम जैतपुर धामनौद जिला धार में प्रस्तावित परियोजनाएं क्रमशः 1) स्पिनिंग मिल 2) कपडा निर्माण इकाई यार्न सहित 3) पेपर निर्माण इकाई 4) बीओपीपी फिल्म निर्माण इकाईयों को म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर के आधिपत्य की ग्राम जैतपुर धामनौद जिला धार में स्थित अधिकतम कुल 200 एकड़ अविकसित शासकीय भूमि ₹ 2 लाख प्रति एकड की दर से मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंध नियम, 2015 (यथा संशोधित, 2016) में भूमि आंकलन संबंधी प्रावधान के अनुरूप आवंटित की जावे।

2. स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से मुक्ति - परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समूह के आधिपत्य की भूमि हेतु नाहर समूह द्वारा प्रवर्तित कंपनियों/ अनुषांगिक कम्पनी/ सहयोगी कम्पनी/ एस.पी.व्ही/ नवीन कम्पनी के बीच अमलगेशन/ मंर्जर/ एक्वीजेशन/ हस्तांतरण के फलस्वरूप भूमि के अंतरण/क्रय के लिखत पर देय स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जावेगी।

3. विद्युत शुल्क से छूट - परियोजना अन्तर्गत 33 के.व्ही. अथवा 132 के.व्ही. अथवा 220 के.व्ही. विद्युत भार पर 10 वर्षो के लिये विद्युत शुल्क से छूट।

4. विद्युत टैरिफ में रियायत - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु ₹ 5/- प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत उपलब्ध करायी जावे, परन्तु यह रियायत 31 मार्च, 2027 के पश्चात् देय नही होगी । संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) मध्यप्रदेश ट्रायफेक से अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकेगी ।

5. निवेश प्रोत्साहन सहायता- उद्योग संवर्धन नीति 2014(यथा संशोधित 2017) प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता 7 वर्षों के लिए शर्तो के अध्याधीन ।

6. 132 केव्ही पावर सप्लाई- मध्यप्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जैतपुर, धामनोद के पास, जिला धार में 132 केव्ही पॉवर सबस्टेशन की स्थापना की जावे ।

निरंतर...........

7. जल आवंटन - प्रस्तावित परियोजना हेतु नर्मदा नदी से जल आपूर्ति हेतु नियम अनुसार अनुमति दी जावे । इस हेतु समूह द्वारा स्वयं के व्यय से पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जावे ।
8. ब्याज अनुदान - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) अनुसार टेक्टसटाईल्स उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता अन्तर्गत भारत सरकार की टफ स्कीम में (Tuf Scheme) में वस्त्र मंत्रालय के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी 71, नवम्बर, 2007 में वर्णित अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये गये टर्म लोन पर ब्याज अनुदान शर्तों के अध्याधीन।
9. नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति - परियोजना निर्माण अवधि में निर्माण सामग्री पर राज्य को प्राप्त नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति ।
10. हरित औद्योगिकीकरण हेतु सहायता- उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानों के अध्याधीन 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम रूपये 25 लाख होगी।
11. अधोसंरचना विकास अनुदान - उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानों के अध्याधीन अधोसंरचना विकास अनुदान।
12. प्रशिक्षण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति - परियोजनाओं में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों (नियमित एवं कान्ट्रेक्ट कर्मचारियों सहित) को 4 माह तक 50% वेतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 1 लाख तक की जावे। यह एकीकृत स्वीकृति प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 2 करोड़ की सीमा में होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिये देय होगी। इस प्रकार इस मद में अधिकतम रूपये 10 करोड़ के व्यय की एकीकृत प्रतिपूर्ति सभी 7 निवेश परियोजनाओं को मिलाकर की जा सकेगी। यह सहायता इन 7 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु ही देय होगी ।
13. परियोजना को स्वीकृत विशेष सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावे।
14. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर...........

CIE14173

पृ.क्रमांक एफ 16-27/2018/ ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 06/04.2018

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/जल संसाधन विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर ।
5. कलेक्टर, जिला धार
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर।
7. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, नाहर स्पिनिंग मिल लिमि. 373, इण्डस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना-141003 (पंजाब)

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

CIE14173